MHME-3/12/2023-XXVIII-3-Medical Health and Medical Education Department

I/316559/25

संख्या– XXVIII(3)25/e-file no.58998/ 2023

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 24 जुलाई, 2025

चिकि0 स्वा0 एवं चिकि0 शिक्षा अनु0–3

विषय–राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लंबित वित्तीय दायित्वों के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–रा.स्वा.प्रा./2025–26/सचिवालय पत्राचार/ 01–सी–197 दिनांक 22.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड के स्तर पर विभिन्न चिकित्सालयों के लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में ऋण के रूप में रू. 75.00 करोड़ (रू0 पचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति राज्य आकस्मिकता निधि से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखें जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

I. उक्त रू. 75.00 करोड़ की धनराशि ब्याजमुक्त ऋण के रूप में होगी जिसकी स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष की अवधि ऋण स्थगन अवधि (Moratorium) के रूप में होगी।
II. ऋण स्थगन अवधि के पश्चात प्राधिकरण द्वारा 05 वित्तीय वर्षों में रू 15 करोड़ की 05 समान किश्तों में उक्त धनराशि का पुनर्भुगतान राजकोष में किया जायेगा एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक किश्त अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।
III. स्वीकृत धनराशि का व्यय मात्र राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लंबित वित्तीय दायित्वों के भुगतान हेतु किया जायेगा।
IV. स्वीकृत धनराशि तत्काल यथाप्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को तत्काल उपलब्ध कराते हुए शासन को सूचित किया जायेगा।
V. स्वीकृत धनराशि के उपयोग करने के उपरान्त राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
VI. स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैन्यूअल और समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लेखाशीर्षक 8000–राज्य आकस्मिकता निधि लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अनुदान

संख्या 12 के लेखाशीर्षक 6210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 04–लोक स्वास्थ्य 282–लोक स्वास्थ्य 02–राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना 01–लम्बित वित्तीय दायित्वों के भुगतान हेतु ऋण 61–ऋण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग में कम्प्यूटर जनित संख्या–I/316219 दिनांक 23.07.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 24-07-2025
13:06:01

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

रा0आ0निधि संख्या–15 / रा0आ0नि0 / XXVII(1)/2025 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–महालेखाकार उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हिमांशु खुराना)
अपर सचिव, वित्त।

संख्या एवं तिथि तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या–रा.स्वा.प्रा. / 2025–26 / सचिवालय पत्राचार / 01–सी–197 दिनांक 22.05.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 / वित्त–1 / नियोजन विभाग।
8. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Krishna Kumar Shukla
Date: 24-07-2025
13:36:14

आज्ञा से

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Medical & Health(S030)

HOD-Director General Medical Health Welfare(2671)

आवंटन पत्र संख्या -58998
अनुदान संख्या -PAC

आवंटन आई डी-S2507PAC0002
आवंटन पत्र दिनांक-24-JUL-2025

लेखा शीर्षक	8000-आकस्मिकता निधि	00--
	201-समेकित निधि से विनियोग	00-समेकित निधि से विनियोग
	00-समेकित निधि से विनियोग	Voted

8	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

कनेक्टिंग अनुदान संख्या -012

6	2	1	0	0	4	2	8	2	0	2	0	1

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
61-ऋण	0	750000000	0	750000000
योग	0	750000000	0	750000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.75,00,00,000 (Rupees Seventy Five Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER